L. A. BILL No. XXIX OF 2021.

A BILL

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA STATE BOARD OF TECHNICAL EDUCATION ACT, 1997.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक २९ सन् २०२१।

महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड अधिनियम, १९९७ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी विधेयक।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;

सन् १९९७ का महा. ३८।

सन् २०२१ का महा. अध्यादेश क्रमांक २।

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं, जिनके कारण उन्हे इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड अधिनियम, १९९७ में, अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; और इसलिए, महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, २०२१, २ सितंबर २०२१ को प्रख्यापित हुआ था ;

(शा.म.मु.) एचबी १०९४–१ (५०–१२-२०२१)

और क्योंकि उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है ; अतः भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, २०२१ कहलाए।

(२) यह २ सितंबर २०२१ से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

सन् १९९७ का महा. ३८ की धारा २६ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड अधिनियम, १९९७ (जिसे इसमे आगे, " मूल अधिनियम " कहा गया है) की धारा २६ की,— सन् १९९७ का महा. ३८।

(एक) उप-धारा (३) में, निम्न परंतुक, जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

" परंतु, अकादमिक वर्ष २०२१-२०२२ के लिए, ऐसा आवेदन १५ सितम्बर, २०२१ को या के पूर्व किया जायेगा।";

(दो) उप-धारा (४) में निम्न परंतुक, जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

" परंतु, अकादमिक वर्ष २०२१-२०२२ के लिए, विहित समय सीमा के भीतर प्राप्त सभी ऐसे आवेदन, बोर्ड द्वारा संवीक्षित किए जायेंगे और १० अक्तूबर २०२१ को या के पूर्व सरकार को अग्रेषित किये जायेंगे।";।

सन् १९९७ का महा. ३८ की धारा ३५ में संशोधन।

३. मूल अधिनियम की धारा ३५, की उप-धारा (२) में, निम्न परंतुक, जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

" परंतु, अकादमिक वर्ष २०२१-२०२२ के लिए, संस्था को बंद करना चाहनेवाले प्रबंधमंडल, १५ सितम्बर २०२१ को या के पूर्व बोर्ड को आवेदन करेंगे।"।

सन् २०२१ का महा. अध्यादेश क्रमांक २ का निरसन तथा व्यावृत्ति।

४. (१) महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, २०२१, एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है। सन् २०२१ का महा. अध्या. क्र. २।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत कोई बात, या की गई कोई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गई या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी।

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य

महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड अधिनियम, १९९७ (सन् १९९७ का महा. ३८।) डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले मामलों को विनियमित करने के लिए राज्य बोर्ड की स्थापना करने का उपबंध करता है। उक्त अधिनियम की धारा २६, २७ और ३५ नई संस्था, नये पाठ्यक्रम, अतिरिक्त संकायों, नए विषयों, अतिरिक्त प्रभाग शुरू करने, संस्था बंद करने की अनुमति के लिए आवेदन करने के लिए तथा संवीक्षा के पश्चात् आवेदन सरकार को अग्रेषित करने की समय सीमा को विहित करती है। उक्त धारा २६ की उप-धारा (३) यह उपबंध करती है की, नई संस्था शुरू करने के लिए अनुमति माँगनेवाला प्रबंधमंडल जिस वर्ष से अनुमति चाही गई है उस वर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष के अक्तूबर के अंतिम दिनांक के पूर्व बोर्ड को विहित प्ररूप में आवेदन करेंगे। उक्त धारा २६ की उप-धारा (४) यह उपबंध करती है की, उपर्युक्त विहित समय सीमा के भीतर प्राप्त सभी ऐसे आवेदन, बोर्ड द्वारा सवीक्षित किए जायेंगे और उस वर्ष के दिसम्बर के अंतिम दिनांक को या के पूर्व सरकार को अग्रेषित किए जायेंगे। धारा २७ की उप-धारा (५), नए पाठ्यक्रमों, नए संकायों, नए विषयों और अतिरिक्त प्रभागों के लिए अनुमति माँगने के लिए प्रक्रिया का उपबंध करती है। धारा ३५ की उप-धारा (२) यह उपबंध करती है कि संस्था को बंद करने के लिए चाहनेवाला प्रबंधमंडल पूर्ववर्ती वर्ष के अप्रैल के अंतिम दिनांक को या के पूर्व बोर्ड को आवेदन करेगा। तथापि, कोविड-१९ महामारी का प्रसार होने के कारण, उक्त अधिनियम में विहित समय-सीमा का पालन करना संभव नही हो सका था।

२. पूरा भारत, विशेष रूप से महाराष्ट्र **कोविड-१९** महामारी का सामना कर रहा है, और जिसका बडी मात्रा में शैक्षिक और सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र प्रतिकूल रुप से प्रभावित हुये है। महामारी ने युवा पीढी के लिए भी रोजगार समस्या निर्माण की है। महाराष्ट्र राज्य में प्रचलित गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए और युवाओं को भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार द्वारा समय समय पर यथा प्रस्तावित आनेवाले क्षेत्रों में उन्हें कौशल शिक्षा का उपबंध करने द्वारा शैक्षिक बढ़ावा और रोजगार अवसरों को कायम रखने के लिए, अकादमिक वर्ष २०२१-२२ के लिए नई संस्था, नए पाठ्यक्रम अतिरिक्त संकायों, नए विषयों, अतिरिक्त विभागों को शुरू करने की अनुमति, संस्था को बंद करने की अनुमति लेने के लिए आवेदन करने तथा संवीक्षा के पश्चात् आवेदन को, सरकार को अग्रेषित करने के लिए, नई समय अनुसूची विनिर्दिष्ट करना इष्टकर समझा गया था। इसी प्रयोजन के लिए, महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा अधिनियम, १९९७ की धारा २६ और ३५ में यथोचित संशोधन करना इष्टकर समझा गया था।

३. चूँकि राज्य विधानमंडल के दोंनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हें इसमें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड अधिनियम, १९९७ में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था, अतः महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा, महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, २०२१ (सन् २०२१ का महा. अध्यादेश क्रमांक २), २ सितम्बर २०२१ को प्रख्यापित हुआ था।

४. प्रस्तुत विधेयक का आशय उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना हैं।

मुंबई,
दिनांकित २५ नवम्बर, २०२१।

उदय सामंत,
उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा मंत्री।,

(यथार्थ अनुवाद),
विजया ल. डोनीकर,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

विधान भवन,
मुंबई,
दिनांकित ९ दिसंबर, २०२१।

राजेन्द्र भागवत,
प्रधान सचिव,
महाराष्ट्र विधानसभा।

शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई